कार्यालय प्राचार्य,शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 19/08/2026

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026
07 अगस्त 2026 से 08 जनवरी 2027 तक
आवश्यक— सूचना

अवर सचिव म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1074/5685119/2026/38—2 भोपाल 03/08/2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत 07 अगस्त 2026 से 08 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार को महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में प्रातः 10:30 से सायं 05:30 बजे तक शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमें सी.एम.हेल्पलाईन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणो का शत प्रतिशत निराकरण और महाविद्यालय के विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं गुणवत्ता का निरीक्षण आदि किया गया जायेगा। अतः उक्त प्रकरणो से संबंधित विद्यार्थी उपस्थित होकर अपनी समस्याओ का समाधान करा सकेगें। विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थी प्रो.श्वेता सिंह रावत से संपर्क करें।

संलग्न :— संदर्भित पत्र की प्रति

प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय
इन्दौर म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल 462004

क्रमांकः 1074 /2026/38-2 भोपाल, दिनांक 03/08/2026

प्रति,

1. आयुक्त,
   उच्च शिक्षा संचालनालय,
   सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य
   शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
   मध्यप्रदेश ।

विषयः- "मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026" के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश ।

--0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य शासन द्वारा क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जनसंवाद के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से **"मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026"** प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान दिनांक 07 अगस्त 2026 से 08 जनवरी, 2027 तक चलेगा। अभियान प्रत्येक सप्ताह के पंचम दिवस अर्थात शुक्रवार को संचालित होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसी भी जिले में निरीक्षण किया जाना संभावित है। उक्त कार्यक्रम अंतर्गत विभाग से संबंधित सम्मिलित किए गये मुख्य विषय - सी.एम. हेल्पलाईन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण और महाविद्यालयों, छात्रावासों, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं अध्ययन की गुणवत्ता का निरीक्षण आदि है।

अभियान के प्रभावी, सुचारू एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक माह के प्रत्येक शुक्रवार को निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के महाविद्यालयों एवं छात्रावासों का निरीक्षण अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा, संभाग स्तर पर महाविद्यालयों एवं छात्रावासों का निरीक्षण अतिरिक्त संचालक द्वारा तथा जिला स्तर पर महाविद्यालयों एवं छात्रावासों का निरीक्षण अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान चिन्हित की गई समस्त समस्याओं का निराकरण संबंधित स्तर—महाविद्यालय, अतिरिक्त संचालक कार्यालय अथवा राज्य स्तर—पर, जिस स्तर से उनका निराकरण अपेक्षित हो, अधिकतम 05 दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी समस्या का निराकरण संबंधित स्तर पर संभव न हो तो इसके स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए कि उक्त समस्या का निराकरण संबंधित स्तर से संभव नहीं है, प्रकरण को 02 दिवस के भीतर सक्षम उच्च स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

"मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026" की आयुक्त कार्यालय द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जाएगी।

संलग्नः- निर्धारित प्रारूप ।

(आर.के. यादव)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप

1. महाविद्यालय का नाम ________________________________

2. संचालित संकाय ________________________________

3. छात्र संख्या ________________________________

4. छात्र उपस्थिति ________________________________

5. महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के स्वीकृत पद एवं कार्यरत सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक/अतिथि विद्वान ________________________________

6. महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक संवर्ग के स्वीकृत पद एवं कार्यरत नियमित / जनभागीदारी / आउटसोर्स के कर्मचारी ________________________________

7. समस्याएं – ________________________________

____

8. सुझाव – ________________________________

____

9. निरीक्षण टीप-

____

____

____